

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 मार्च 2016—फाल्गुन 11, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2016

क्र. डी-15-12-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्य भारत शासन, व्यापार तथा उद्योग विभाग अधिसूचना क्रमांक 6311-13 सी-103-53, दिनांक 16 जनवरी, 1954 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति शुजालपुर के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है :—

### स्थान

ग्राम पंचायत नेवजखेड़ी, तहसील अवंतिपुर बड़ोदिया, जिला शाजापुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 9.516 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	69	0.199
2	71/1	2.398
3	156	5.101
4	76	0.387
5	150	0.428
6	155	1.003
कुल योग . .		9.516

### जिसकी सीमाएं

उत्तर में—अवंतिपुर बड़ोदिया से अरण्डियो सड़क.

दक्षिण में—शासकीय नाला सर्वे नं. 157.

पूर्व में—श्री विक्रम सिंह की कृषि भूमि के सर्वे नं. 77.

पश्चिम में—दूर संचार विभाग की भूमि के सर्वे क्र. 71

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2016

क्र. डी-15-12-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव।

Bhopal, the 1<sup>st</sup> March 2016

No. D-15-12-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following area's including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Nasrullaganj has been established by the Government of Madhya Bharat Commerce and Industries department's Notification No. 6311/13/C/103/531 dated 16th January, 1954 shall be market yard namely :—

#### PLACE

An area of 9.516 hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Nevakhedi in Tehsil Avantipur Badodiya of District Shajapur :—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
(1)	(2)	(3)
1	69	0.199
2	71/1	2.398
3	156	5.101
4	76	0.387
5	150	0.428
6	155	1.003
Total . .		9.516

#### BOUNDED BY

**On the North by**—Avantipur Badodiya to Arandiya road.

**On the South by**—Govt. Nala Serve No. 157.

**On the East by**—Land of Shri Vikramsingh Sarve No 77.

**On the West by**—Land of Telicommunication Sarve No. 71.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2016

क्र. डी-15-12-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2016 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति शुजालपुर, जिला शाजापुर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती हैः—

#### क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत नेवजखेड़ी, तहसील अवंतिपुर बड़ोदिया, जिला शाजापुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
- (2) उप प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

- (1) नेवजखेड़ी, (2) अवन्तिपुरा, (3) मोहम्मदपुर, (4) पवाडिया, (5) शम्भुपुरा (6) लालपुरा, (7) डिगलाखेड़ी,  
 (8) खेरखेड़ी, (9) बेगमखेड़ी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2016

क्र. डी-15-12-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 1<sup>st</sup> March 2016

No. D-15-12-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number, dated 1st March 2016 the following area of Nasrullaganj of Distirct Sehore shall be Sub market yard namely :—

#### AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Nevakhedi in Tehsil Avantipur Badodiya of District Shajapur.
- (2) An area comprising of the following villages within the redious of 5 Kilometers from the Sub market yard namely :—
- (1) Nevakhedi, (2) Avantipura, (3) Mohammadpur, (4) Pawadiya, (5) Shambhupura, (6) Lalpura, (7) Diglakhedi, (8) Kherkhedi, (9) Begamkhedi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
 AJAY GUPTA, Dy. Secy.